न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ.)जायल, जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना संख्या 29/2021

प्रार्थी –

1. किशनाराम पुत्र रामसुख फौत के विधिक वारिसान

1/1–मांगीलाल पुत्र किशनाराम

1/2–मोतीराम पुत्र किशनाराम

1/3–जीतुराम पुत्र किशनाराम

1/4–रामचन्द्र पुत्र किशनाराम

1/5–बस्तीराम पुत्र किशनाराम जातियान जाट निवासीगण कचरास तहसील जायल

बनाम

अप्रार्थी –

1. मनोहरराम पुत्र रामरख
2. रेवन्ताराम पुत्र रामरख
3. रतनीदेवी पत्नि पूर्णाराम जातियान जाट निवासीगण कचरास
4. कमादेवी पूत्री पूर्णाराम (फौत) के वारिसान

4/1–रामसिंह पुत्र पीथाराम

4/2–विनोद पुत्र पीथाराम

4/3–केशरदेवी पुत्री पीथाराम जातियान जाट निवासी बेरासर तहसील जायल

5. विमला पुत्री पूर्णाराम
6. प्रभाती पुत्री पूर्णाराम
7. रामचन्द्र पुत्र पूर्णाराम
8. देवकरण पुत्र पूर्णाराम
9. हेतराम पुत्र शोभाराम
10. रामचन्द्र पुत्र शोभाराम
11. सुरेश पुत्र शोभाराम
12. शारदा पुत्री शोभाराम
13. गोदावरी पत्नि शोभाराम जातियान जाट निवासीगण कचारास तहसील जायल
14. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम–1956

1. श्री नरेन्द्रसिंह, प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री रामप्रकाश बैन्दा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 13 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
4. अप्रार्थी संख्या 14 तहसीलदार जायल जरिये राजपैरोकार उपस्थित।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

दिनांक : 29·10·24

— : : आदेश : : —

प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय हाजा में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी में खसरा नं. 245 रकबा 0.6394 हैक्टेयर व खसरा नं. 271 रकबा 3.6098 हैक्टेयर, खसरा नं. 280/1 रकबा 1.4326 हैक्टेयर मौजा हिरासणी में रहती आई है। प्रार्थी के खेत के चिपते मौजा हिरासणी में पूर्वी व कुछ भाग में उतरी तरफ अप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 के कब्जा काश्त व खातेदारी के स्थित है। जिसमें खसरा नम्बर 246 रकबा 7.3410 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी में दर्ज होकर प्रार्थी के खेत से उतरी तरफ स्थित रहता आया है। खसरा नम्बर 246/1 रकबा 2.4281 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 3 से 13 के खातेदारी में दर्ज है परन्तु मौके पर अप्रार्थी 1 व 2 काश्त करसण करते आये है। खसरा नम्बर 246/2 रकबा 2.4281 हैक्टेयर की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 9 से 13 के नाम दर्ज है परन्तु मौके पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का है। प्रार्थी के खेत के पूर्वी तरफ स्थित खसरा नम्बर 246/2 व 246/1 पर काश्त करसण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का है। प्रार्थी के खेत के पूर्वी माठ को माह फरवरी 2021 में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने पश्चिम की तरफ खीसकाकर प्रार्थी के खेत के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया। जिस प्रार्थी ने अपने खेत का सीमाज्ञान किये जाने बाबत् श्रीमान तहसीलदार साहब जायल के समक्ष आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 23.05.2021 को पटवारी हल्का खाटकला ने मौके पर आकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 245 का सीमाज्ञान किया तथा खसरा नम्बर 271 के भी पूर्वी हिस्से का सीमाज्ञान कर रिपोर्ट श्रीमान तहसीलदार जायल के समक्ष पेश कि जिस रिपोर्ट में भी प्रार्थी के खेत के पूर्वी तरफ कि भूमि अप्रार्थीगण द्वारा माह फरवरी 2021 में सींव–माठ को जो पूर्वी उतरी तरफ कि है को खीसकाकर सींव–माठ कायम कर देने से प्रार्थी को यह प्रर्थना पत्र पेश करना लाजमी हुआ। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा हीरासणी के खेत खसरा नम्बर 245 रकबा 0.6394 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 271 के चारों तरफ सीमाचिन्ह स्थापित कराये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बैन्दा ने वकालातनामा प्रस्तुत किया जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 13 के सम्मन बावजूद सूचना के तामील रहने पर भी गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध एक

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

पक्षीय कार्यवाही केपारित किये गये। अप्रार्थी संख्या 14 तहसीलदार जायल (राजपैरोकार) उपस्थित।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

वकुलाय की दलीलों पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रस्तुत दस्तावेजात् यथा सीमाज्ञान रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण ने अपनी कब्जा शुदा खातेदारी भूमि ग्राम हीरासणी पटवार हल्का खाटुकला तहसील जायल की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 245 रकबा 0.6394 हैक्टर व खसरा नम्बर 271 रकबा 3.6098 हैक्टेयर पर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व सिमाज्ञान रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थीगण की भूमि नक्शा में अधिक एवं मौके पर कम होना व तरमीम सही नहीं होना पाया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने की अधिकारी है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम हीरासणी पटवार हल्का खाटुकला तहसील जायल की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 245 रकबा 0.6394 हैक्टर व खसरा नम्बर 271 रकबा 3.6098 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक नक्शा लट्ठा सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते हैं। इस बाबत तहसीलदार जायल को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं इनके सहायतार्थ, भू.अ. निरीक्षक खाटू कला, पटवारी हल्का बरनेल व खाटू कलां की राजस्व टीम का गठन किया जाता है। नियमानुसार प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार जायल को मौके पर सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करने हेतु आवश्यक साज–सामान उपलब्ध कराने एवं तहसीलदार जायल व राजस्व टीम को मौका कमिश्नर फीस यथा तहसीलदार जायल को 1200/– रूपये व भू.अ. निरीक्षक खाटू कलां को 700/– एवं पटवारी हल्का बरनेल व खाटूकलां को 500–500/– रूपये अदा करने पर भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायी जावे। तहसीलदार जायल को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.10.24...... को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)

(अभिलाष)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner